फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

ईश्वर बनाम रामजीलाल

क़िस्म मुकदमा : **प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा** मु0नं0 78/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.10.2019	प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन व अपूणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण अप्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा रेटा तहसील सिकराय स्थित आराजी खसरा 545, 750, 754, 755, 756,764 रामा रेटा तहसील सिकराय में आगामी तिथि तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक 05.11.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करें पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 5.11.2019 को पेश हो। अ उपखण्ड अधिकारी सिकराय	
.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] प्रतिवादी की तलबी की आ[illegible] का पक्ष हो अ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested